

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज.)

वादीगण	व	प्रतिवादीगण
खातून पुत्री स्व. भंवरु खॉ पत्नि अब्दुल सतार जाति तेली निवासी कुचामन	ना म	जन्त बानो पत्नी भंवर उर्फ भंवरु खॉ जाति तेली निवासी कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = घोषणा खातेदारी अधिकार भू-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.R.Act 1955

राजस्व वाद-पत्र नम्बर = 94 /2024

GCMS No.2024/ 175

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

27.06.2024

वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणा खातेदारी अधिकार भू-विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.R.Act 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.07.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

26/07/24

पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 29/08/24 को पेश हो।

29/07/24

पत्रावली आज वकील वादी की ओर से आज तारीख पेशी पर पत्रावली लेने हेतु प्रार्थना पत्र जरिये विट्रोल प्रस्तुत किया गया एवं वादी के वकील के द्वारा उक्त प्रकरण जरिये विट्रोल के पेश होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली फसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)



कुचामन
29/07/24

अ.पि. आशिया